

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 01/2017 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ- पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली मा० उच्च न्यायालय।								
1	सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।	2124/सी/15	श्री साजिश खॉ बेलदार	श्री कुलजीत सिंह, मु०अ० शारदा गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।	-	रि०या०सं०-2198/एस० एस०/15 में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.05.15 को दिये गये आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अवमानना वाद दायर किया गया है।	पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी मा० उच्च न्यायालय।								
1	मूसा खण्ड बांध, प्रखण्ड, वाराणसी	2291/2013	बहादुर लाल	जे०एन० सिंह, मुख्य अभियन्ता	52279/11	प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने हेतु आदेश पारित हुआ है।	-	प्रतिवादी संख्या 01 तत्कालीन मु०अ० सोन सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने मा० न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वह सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः वादी द्वारा नया प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किये जाने पर अवमाननावाद में शपथ पत्र दाखिल किया जा सकेगा अथवा अवमाननावाद मा० न्यायालय द्वारा स्वतः सज्ञान लेकर नई पार्टी जोड़ने के लिए आदेश जारी करने पर ही अगले प्रतिवादी के नियुक्ति होने पर प्रतिवादी द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जा सकेगा। उक्त में पैरोकार अधिशासी अभियन्ता मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड वाराणसी है।
मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ मा० उच्च न्यायालय।								
1	मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर	ए-66157/2010	श्री बृजेश चन्द्र सहायक अभियन्ता बनाम यूनियन आफ इण्डिया, प्रमुख सचिव सिंचाई, उ०प्र० राज्य व अन्य	सहायक अभियन्ता-2	-	-	दाखिल करने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं। वर्तमान में श्री बृजेश चन्द्र सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।	रि०या०चिका सं०-ए-66157/2010 बृजेश चन्द्र बनाम यूनियन आफ इण्डिया में नैरेटिव शासन से नैरेटिव का विधीक्षण अपेक्षित है। इस कार्यालय द्वारा नैरेटिव के विधीक्षण हेतु लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) के पत्रांक: 2372/दिनांक 5.01.2017 द्वारा अनुमोदन हेतु उच्च स्तर को प्रेषित।
2	-----तदैव-----	34545/2016	मुनेश कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व	सहायक अभियन्ता-4	-	-	अभी रिट नम्बर जारी नहीं है।	नोटिस सं०-34545/2016, मुनेश कुमार व अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में रिट नं०

			अन्य					जारी नहीं हुआ है। रिट नं0 जारी होने के उपरान्त प्रतिशपथ पत्र कर दिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) के पत्रांक नि-1469 दिनांक 27.12.2016 द्वारा वाद का नैरेटिव व संक्षिप्त इतिहास उच्च स्तर को अनुमोदन हेतु प्रेषित।
3	-----तदैव-----	23191/2016	सत्यपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	सहायक अभियन्ता-4	-	-	अभी रिट नम्बर जारी नहीं है।	नोटिस सं-203191/2016, सत्यपाल सिंह व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में उपसचिव सिंचाई अनुभाग-7 से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है अभी रिट नं0 जारी नहीं हुआ है। रिट नं0 जारी होने के उपरान्त प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया जायेगा।
4	-----तदैव-----	42302/2015	रेशू एडवरटाइजिंग लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया	सहायक अभियन्ता-4	-	-	-	वाद सं0-42302/2015 रेशू एडवरटाइजिंग लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य का नैरोटिव इस कार्यालय के पत्रांक 571/दिनांक 19.01.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), मेरठ को अनुमोदन हेतु प्रेषित।
5	मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ	32753/2013	मो0 हबीब, ठेकेदार बनाम उ0प्र0 सरकार	सहायक अभियन्ता-5	-	-	-	वाद सं0-32753/2013, मो0 हबीब, ठेकेदार बनाम उ0प्र0 सरकार में शासन द्वारा वाद का नैरेटिव अनुमोदित इस कार्यालय के पत्रांक 11306/दिनांक 26.12.2016 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।
6	-----तदैव-----	50990/2013	अब्दुल कादिर बनाम उ0प्र0 सरकार	सहायक अभियन्ता-1	-	-	-	वाद सं0-50990/2013, अब्दुल कादिर बनाम उ0प्र0 सरकार में शासन द्वारा वाद का नैरेटिव अनुमोदित इस कार्यालय के पत्रांक 11306/दिनांक 26.12.2016 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।
7	-----तदैव-----	54671/2015	सोहन लाल बनाम उ0प्र0 सरकार	सहायक अभियन्ता	-	-	-	रिट नोटिस संख्या-54671/2015, सोहन लाल बनाम उ0प्र0 सरकार बनाम उ0प्र0 सरकार में अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड, गंगा नहर मेरठ द्वारा वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद को प्रकरण की वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था।
8	मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ।	24356/2016	युग्मा दत्त बनाम उ0प्र0 राज्य	उपराजस्व अधिकारी-2, मोदी नगर	-	-	-	रिट संख्या-24356/2016, युग्मा दत्त बनाम उ0प्र0 राज्य में मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) मेरठ के पत्रांक 2251/दिनांक 5.12.2016 द्वारा उच्च स्तर को अनुमोदन हेतु प्रेषित।
9	ड्रेनेज खण्ड प्रथम, मेरठ।	1709/2016	रवीन्द्र सिंह बेदी, मुख्य अभियन्ता से0नि0, बनाम उ0प्र0 राज्य।	सहायक अभियन्ता-3	-	-	शासन स्तर पर लम्बित	अपनी रोकी गयी ग्रेच्युटी पर व्याज की मांग हेतु याचिका दायर की गयी है।
10	-----तदैव-----	रिट याचिका संख्या:- 47618/2016	श्री देवेन्द्र कुमार जैन बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य।	सहायक अभियन्ता	-	-	कार्यवाही की जा रही है।	वादी ने सेवा सम्बन्धी लाभ निर्धारण के विरुद्ध वाद दायर की गयी है।
11	ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण हापुड	रिट संख्या:- 3004/एस0बी0/2016	उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग व अन्य बनाम श्री प्रेम प्रकाश त्यागी सेवानिवृत्ति, अधिशासी	शोभित जैन, सहायक अभियन्ता-3	-	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव महोदय के हस्ताक्षर लम्बित है।	श्री प्रेम प्रकाश त्यागी, सेवानिवृत्ति अधि0 अभि0, ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण, खण्ड-6, रुडकी के विरुद्ध एक जांच कमेटी गठित की गयी है तथा जांच आख्या के आधार पर शासन द्वारा उनकी पेंशन से 20

			अभियन्ता						प्रतिशत स्थायी कटौती के आदेश निर्गत किये गये हैं। जिसकी सहमत लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा भी दी गयी जिसके विरुद्ध श्री प्रेम प्रकाश त्यागी द्वारा स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल द्वारा कार्यो को टुकडों में बांट कर कराये जाने के आधार पर शासनादेश सं०: 506/07-27-सिं-08टी/84, दिनांक 22.02.2007 में निहित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के आधार पर सुनवायी के पश्चात दिनांक 31.08.2016 को पिटीशन निरस्त कर दी गयी जिसके विरुद्ध श्री प्रेम प्रकाश त्यागी द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में वाद योजित की गयी।
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ मा० उच्च न्यायालय।									
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	1090/सी/2014	दुर्गेश बनाम श्री सुप्रभात सिंह, अधि०अभि०	2419/एस०एस०/12	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।	-	मा० न्यायालय के निर्णय के समादर में कार्यवाही की जा रही है।	-	
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ मा० लोक सेवा अधिकरण।									
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	493/2014	अरुण कुमार बनाम श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव	209/2013	पुरानी अवधि से अधि० अभि० के पद के समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।	-	-	मा० न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन।	
3	सिंचाई खण्ड, फैजाबाद	168/सी/2015	लालजी व अन्य बनाम श्री अनिल ढीगरा, जिलाअधिकारी व अन्य	10323/एमबी/13	भुगतान के संबंध में।	-	-	शासन से अनुमति अपेक्षित है।	
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ मा० लोक सेवा अधिकरण।									
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	493/2014	अरुण कुमार बनाम श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव	209/2013	पुरानी अवधि से अ०अ० के पद के समस्त देयकों के भुगतान के संबंध में।	-	-	मा० न्यायालय में सुनवायी हेतु विचाराधीन।	
मुख्य अभियन्ता (नलकूप), वाराणसी, मा० लोक सेवा अधिकरण।									
1	534/2016 सच्चिदा नन्द त्रिपाठी प्रतिवादी, श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता द्वारा सेवानिवृत्त देयकों के विलम्ब से भुगतान के संबंध में।	वादी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता निर्देश या० सं० 1070/2006 में मा० अधिकरण द्वारा दि० 28.04.2016 को अन्तिमरूप से निस्तारित कर दिया गया अपने निस्तारण द्वारा ब्याज की धनराशि पर 12 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के निर्देश हैं।	वादी द्वारा योजित निर्देश याचिका सं० 1070/2006 में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा यह अवामाननावाद योजित किया गया है।	-	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुपालन का प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया जायेगा।	वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन को भेजा गया है। स्वीकृति उपरान्त आदेश का अनुपालन कर दिया जायेगा।	
मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) मा० लोक सेवा अधिकरण।									
1	251/2016	सोहन लाल सिंह (सेवानिवृत्ति), अवर	उ०प्र० सरकार व अन्य	निर्देश याचिका सं० 2050/2015	-	-	-	प्रश्नगत वाद में मा० लोक सेवा अधिकरण का आदेश दि० 03.02.2016 विपक्षी	

		अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।						सं0-03(उपनिदेशक कोषागार एवं पेंशन) के लिये है। प्रश्नगत वाद में विपक्षी सं0-02 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष) को अवमाननावाद की नोटिस दिया जाना विधि विरुद्ध परिलक्षित होता है। उक्त वाद में अग्रिम तिथि 05.12.2016 निर्धारित है।
मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-द्वितीय), गोण्डा मा0 लोक सेवा अधिकरण।								
1	स0न0ख0-5, गोण्डा	118/2014	गिरधर गोपाल बनाम श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव व अन्य	139/10	श्रम न्यायालय द्वारा वादी कर्मचारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी को रू0 116291.00 के भुगतान का आदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा कटौती की राशि तथा 8 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के आदेश दिये गये हैं। अनुपालन न होने के कारण तत्क्रम में वादी द्वारा अवमाननावाद योजित किया गया है।	-	वादी से वसूली की गयी धनराशि रू0 116291.00 में से उनके अंश रू0 31841.00 की धनराशि की वसूली का समायोजन करते हुए शेष धनराशि का 8 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान सर्वेक्षण अनुसंधान , लखनऊ द्वारा किया जाना है। ब्याज के भुगतान हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष धनराशि रू0 84450.00 का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। अगली तिथि निर्धारित नहीं है।	-
2	स0न0ख0-5, गोण्डा/ राप्ती निर्माण मण्डल-1, बलरामपुर	236/2015	प्यारे लाल सोनकर बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	845/2014	मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2015 को आदेश दिया गया है कि पेंशन लाभ तथा विलम्ब हेतु 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान के आदेश पारित किया गया है।	-	मा0 अधिकरण के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जा चुका है।	-

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिसासी अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

अधीक्षण अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

